

फर्द अहकाम
 ओ.वा.सा.प्र.१/१५ बनाम राजराज
 18/8/17 प्रापत्र पत्थगरी

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 केस संख्या विराटनगर (जयपुर)
 क्रम संख्या 18/8/17
 आजा या
 सत्यमेव जयते
 Web Copy - Not Official

आजा विस्तृत रूप से

31118 वकील प्राथी उप. वैपेकम
 साक्ष्य उप. वकील प्राथीने
 सीमासात के फाडि पेच
 करने को अवसा पाटा
 फावली दिनांक 11-4-18 को
 पेच धो।

उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)

11-4-18 वकील प्राथी उप. गल भादवे
 की पालना को अवसा पाटा
 फावली दिनांक 25-4-18 को
 पेच धो।

उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)

25-4-18 वकील प्राथी उप. वैपेकम
 साक्ष्य उप. वाते पेच धो
 सीमासात फाडि हेतु दिनांक
 31-5-18 को पेच धो।

उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)

31/05/2018

नि. वि. सा. प्र. 1/15
 मूल-पत्र

पत्रावली राजस्व लोक अडालत
 में पेश हुई। उपाखित पक्षकारों
 एवं दंडोका सरकार को सुना
 गया। पत्रावली पत्रावली पर
 उपलब्ध दस्तावेजों विधि के

फर्द अहकाम

लोधाण बनाम vs राज सरकार

उपखण्ड अधिकारी

18/07/2017

प्राण पत्थरादी

क्रमांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------	----------------------	-------------

सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपनी आराजी के सीमाज्ञान संबंधि कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः इन्होंने अत्राव में पत्रावली सह आदेश के साथ खारिज की जाती है कि प्रार्थी अपनी आराजी का सफल अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सीमाज्ञान पश्चात नये सीरे से प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरादी प्रस्तुत करें। निर्णय सज्जे - काम सुनाया गया।



(Signature)
पीठासीन अधिकारी
 राजस्व लोक अदालत
 न्याय आपके द्वार-2018
 उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)

गदी
 16/0.33
 938
 गर